

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टनि बोर्ड
19 सी, हुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विद्यानसभा भार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
सूचना / विज्ञप्ति

उ0प्र0 पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती-2022

संख्या: पीआरपीली एक-३(३) / 2020

दिनांक: जानवरी ८, २०२२

पुलिस महानिवेशक, उ0प्र0 हारा प्रेषित अधियाचन पत्र संख्या: ढीजी-चास-308(02) / 2017 दिनांकित 01-02-2021 एवं ढीजी चार 308(02) / 2017/61 दिनांकित 03-08-2021 ले आधार पर उ0प्र0 पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक, वेतन मैट्रिकरा लेवल-4 (रु0 25500--81100) के क्रमशः 1300 एवं 74 अर्थात् फूल-1374 अधियाचित रिवित पदों के आपेक्षा श्रेणीवार विवरण निम्नवत हैं, को गर्ने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:

सहायक परिचालक

क्र0सं0	श्रेणी	पदों की संख्या
1-	अनारक्षित	552
2-	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (LWS)	137
3-	अन्य पिछड़ा वर्ग (Non-Creamy Layer)	370
4-	अनुसूचित जाति	288
5-	अनुसूचित जातिजाति	27
सोम:		1374

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेल क्षेत्र (HORIZONTAL) आवधान

क्र0सं0	सागूह	पदों की संख्या
1-	रक्तांकन संयाग रोनानी के आश्रित	27
2-	भूतपूर्व सौनिक	68
3-	महिला	274

1.2— रक्तांकन संयाग सेनानियों के आश्रितों के लिये 02 प्रतिशत भूतपूर्व सौनिकों के लिये 05 प्रतिशत तथा महिलाओं को 20 प्रतिशत का क्षेत्र आवधान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रागय-रागय यर जारी शासनादेशों/अधितना शासनादेशों, उ0प्र0 शासन के कार्यिल अनुग्रह-2 के शासनादेश संख्या: 39रिट/का-2/2019, दिनांक 26-06-2019 में दो एवं व्यवस्था एवं इस सम्बन्ध में मा० रार्वच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिकारिता (सिविल) संख्या-23223/2018 रौरक यादव एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में विचारित प्रकीर्ण प्रार्थना-पत्र संख्या: 2641/2019 राज्य रिट याचिकारी) संख्या: 237/2020 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार लागू किया जायेगा।

1.3— प्रथम परीक्षा के पूर्व लिसी भी समय रिफिल्यों जौ संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा वह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निररत की जा सकती है।

2.1— ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी :—

क्र०सं०	विवरण	तिथि
1	पंजीकरण आरम्भ होने की तिथि	20-01-2022
2	पंजीकरण की अंतिम तिथि	28-02-2022
3	आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	28-02-2022
4	आवेदन पत्र समिट करने की अंतिम तिथि	28-02-2022

2.2— आवेदन शुल्क :—

इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आवेदन शुल्क रु 400/- (रूपये चार सौ नाम्र) निर्धारित किया गया है।

3— अहंताये :—

3.1— राष्ट्रीयता :—

भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश के निया, यूगांडा और थूगाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवास किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अदेशा की जायेगी कि वह पुलिस उप स्थानिक, अभिसूतना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके गागले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में अभिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिग रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

3.2— शैक्षिक अहंता :—

भारत में पिंडि द्वारा स्थापित बोर्ड से भीतिकी एवं गणित निष्ठाओं सहित इंटरग्रीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा लातीर्ण ली जाए।



टिप्पणी :-

- (1) आवेदन की अन्तिम तिथि 28-02-2022 तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिये। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मालित हुए (appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (appearing) अभ्यर्थी पत्र न होंगे।
- (2) आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अग्रिमत्रयीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस रामबन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

3.3-अधिमानी अर्हतार्थ :-

अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, किन्तु दो या दो से अधिक अधिकारीयों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में प्रस्तर-4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जायेगी:-

- (1) लोएक (DOEACC)/नाइलिट (NIELIT) सोसायटी से काग्यूतर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या
- (2) प्रार्थिक रोना गें चूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (3) राष्ट्रीय कैलेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

3.4- आयु :-

भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:-

अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2022 लो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक आयु का न हो, अर्थात् अभ्यर्थी जा जन्म दिनांक 01-07-2000 से पूर्ण तथा दिनांक 01-07-2004 के बाद न हुआ हो।

परन्तु यह कि अनुरूपित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों भी दशा में उच्चातर आयु रीझा रखने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय लागू अधिगिरियाँ गें अथवा लागू सरकारी आदेशों गें विनिर्दिष्ट की जाये।

3.5- चरित्र :-

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवाभेजन के लिए सभी प्रकार रो लप्पुकरा हो सके; नियुक्ति प्राप्तिकारी हस्त रामबन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी :-

संघ सरकार या राज्य सरकार या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वानित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति रोक में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अवधगता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध अवित भी पात्र नहीं होंगे।



3.6- पैवाहिक प्राप्तिः—

ऐसा/ऐसी व्यक्ति,—

- (क) जिसने किसी ऐसे/ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की हो, जिराका/जिसकी पहले से जीवित पति/पत्नी हो, या
 - (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए उसने किसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की हो,
- सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु अन्य सरकार का यदि इस बात का रागधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य नकार के लिये लागू वैधिक विधि जो अधीन ऐसा विवाह अनुमोदय है और ऐसा करने के अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

3.7- शारीरिक स्वस्थता :—

किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि गान्धिक और शारीरिक दृष्टि से उसको स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में राफल हो जाये।

4- भर्ती की प्रक्रिया :—

यह चयन “उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली—2015 (यथा संशोधित)” के अधीन किया जायेगा।

4.1- ऑनलाइन लिखित परीक्षा :—

ऐसे अधिकारी जिनके आदेश सही पाये जायेंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में रामेलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में निम्नलिखित वार विषयों का वर्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा:-

विषय	अधिकतम अंक
1— सामान्य हिन्दी	100 अंक
2— विज्ञान / रागान्य ज्ञान	100 अंक
3— राज्यात्मक एवं मानसिक धोरणों परीक्षा	100 अंक
4— मानसिक अभिज्ञता परीक्षा / बुद्धिलक्षि परीक्षा / तार्किक परीक्षा	100 अंक

- (क) ऑनलाइन लिखित परीक्षा 02:30 बजे (150 मिनट) की होगी।
- (ख) अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही टिकिट को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक टिकिटों में विभिन्न पालियों में आयोजित करायी जायेगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग-अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित

परीक्षा एक से अधिक लिखियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित किये जाने पर अभ्यर्थी के प्राप्तांकों का प्रसागान्धीकरण किया जायेगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर यथारामय प्रदर्शित की जायेगी।

- (ग) ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50 प्रतीशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जाहां कहीं इस गियम में 'शब्द 'अंक' आया हो उसका तात्पर्य प्रसामान्धीकृत अंक होगा अर्थात् ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रसागान्धीकरण करने के पश्चात् जिन अभ्यर्थियों के प्रसामान्धीकृत प्राप्तांक प्रश्न—पत्र के प्रत्येक विषय में 50 प्रतीशत नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले बरण में प्रतिभाग करने हेतु आह/एवत्र नहीं होंगे।
- (घ) रांगत सेवा निधमावली के अनुसार बोर्ड, प्रश्नपत्र के चार विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथगत प्रसागान्धीकरण करेगा और अंतिम कुल प्रसामान्धीकृत अंकों की गणना समस्त चारों विषयों के प्रसामान्धीकृत (Normalised) अंकों को जोड़कर की जायेगी।
- (च) ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट—1 पर है।
- (छ) प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जायेगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण मात्र उच्च न्यायालय, इलाहाबाद गें रिट याचिका सं०: २६६७(एम०बी०)/२००७ पवन कुमार अग्रहरि बनाम उ०प्र० लोक सेवा आयोग में स्वीकृत विधि व्यवस्था जिम्म सूत्र के अनुसार की जायेगी :—

सही उत्तर X उस गान के निर्धारित अंक
सूत्र :— _____
उही प्रश्नों की रांगत

4.2— दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक गानक परीक्षा :-

प्रसामान्धीकरण (Normalization) के बाद प्ररत्तर—4.1 में दर्जीत ऑनलाइन लिखित परीक्षा में राफल अभ्यर्थियों के प्रसामान्धीकृत (Normalised) प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के अधार पर उनसे अग्रिमेखों की रांगोंका एवं शारीरिक गानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। अग्रिमेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिप्रिटर्स की संख्या को द्वान में रखते हुये निर्धारित की जायेगी।

(1)— पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षा के मानक :-

(क) ऊँचाई :

(1) सामान्य/अन्य विछुड़े वर्गी और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(2) अनुरूपित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।



(ख) सीना :-

रागान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम रीने का गाप 79 सेटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 रोटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 सेटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेटीमीटर रो कम नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी:- न्यूनतम 5 सेटीमीटर रीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षा के मानक :-

(क) ऊँचाई :

- (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेटीमीटर होनी चाहिए।
- (2) अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 रोटीमीटर होनी चाहिए।

(ख) वजन :-

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा जिला गिरिस्ट्रेट द्वारा नामित डिटी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदरय होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदरय जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे। कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, उसके परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपसे दाखिल कर सकता है। ऐसे रासी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित अपर पुलिस अधीक्षक ली उपस्थिति में युन: कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षा में असफल पाये जायेंगे ७.५ में गर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित करते हुए अपरले दरण में समिलित नहीं किया जायेगा एवं रादोगरान्ड किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित की जायेगी।

4.3- शारीरिक दक्षता परीक्षा :-

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में समिलित होने की अपेक्षा वर्गी जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुल्लू अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोग्राम की दौड़ 18 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, गर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक रादरय होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य रादरय जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित की जायेगी।



टिप्पणी :—

- (1) लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि व रागय की सूचना यथासमय अधिसूचित की जायेगी।
- (2) लिखित परीक्षा, अभिलेखों की रांगीक्षा एवं इशारिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> पर उपलब्ध होंगे जहां रो अध्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।

4.4— चयन तथा अन्तिम श्रेष्ठता सूची :—

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अध्यर्थियों में से उनके द्वारा प्रस्तार 4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यीकृत अंकों के आधार पर राज्य की आखण्ण नीति के दृष्टिगत रिकियों के राष्ट्रेक प्रत्येक श्रेणी के अध्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन। सूची तैयार कर उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा/वरित्र सत्यापन के अधीन पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जायेगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। यदि दो या दो से अधिक अध्यर्थी रागान अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता रूची का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। :-

टिप्पणी— यदि दो या दो से अधिक अध्यर्थी रागान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी श्रेष्ठता का निश्चय निम्नलिखित क्रम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:-

- (1) ऐसे अध्यर्थी के अधिगान्यता प्रदान की जायेगी जो प्रस्तार 3.3 में अंकित अधिगानी अहंता के क्रम के अनुसार कोई अधिभानी अहंता रखते हों। एक से अधिक अधिभानी अहंता रखने वाले अध्यर्थी को केवल एक ही अधिभानी अहंता का लाभ प्राप्त होगा।
- (2) उपर्युक्त के होते हुये भी यदि दो या दो से अधिक अध्यर्थियों के अंक समान हों, तो अधिक आठ वाले अध्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- (3) यदि उपरिलिखित के बादजूद भी एक से अधिक अध्यर्थी समान हों, तो ऐसे अध्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रगाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णगाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

5— चिकित्सा परीक्षण :—

चयन रूची गे रथान रखने वाले अध्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नियुक्ति चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सा वैनुअल व “पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रगत्र” के अनुसार की जायेगी। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अध्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिकियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

6— चरित्र सत्यापन :—

नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व और अध्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, वरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी अध्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान जोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुभ्युत घोषित किया जायेगा। और ऐसी रिकियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।



7- आरक्षण व आयु सीमा में छूट :-

लम्बवता एवं क्षेत्रिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के नूल निवारी अध्यर्थियों को ही अनुग्रह्य है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अध्यर्थियों के लिये आरक्षण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुशूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम-1994 (समय-समय पर यथा संशोधित), उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शासीरिक रूप से विकलांग, उत्तंत्रता संग्राम सेनानियों के आन्तरिक इवं भूतभूर्व रौनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1993 (समय-समय पर यथा संशोधित) के उपबन्धों और भाती के समय प्रदूष सरकार के आन्देशों के अनुराग लिया जायेगा। महिलाओं के लिए आरक्षण कार्यक्रम अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या: 18/1/99/का-2/1999 दिनांक 26-02-1999, शासनादेश संख्या: 18/1/99/का-2/1999 दिनांक 30-08-1999, शासनादेश रांग्या: 18/1/99/का-2/2006 दिनांक 09-01-2007 एवं शासनादेश संख्या: 29रिट/का-2/2019 दिनांक 26-06-2019 के अनुसार अनुग्रह्य होंगे। आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट रो सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैं :—

7.1- लम्बवत (Vertical) आरक्षण :-

क्रमसंख्या	श्रेणी	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रगाण-पत्र देने वाले सक्रम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	21	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/उत्तसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला उच्चायाम अधिकारी
2	अनुसूचित जनजाति	02	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/उत्तसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला सनाय कल्याण अधिकारी
3	अन्य पिछड़ वर्ग	27	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-1	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/उत्तसीलदार
4	आर्थिक लोक ते करगजोर वर्ग	10		1 - रवंय घोषणा पत्र प्रारूप-5 एवं 2 - आय एवं परिरान्पत्रि। प्रमाण पत्र प्रारूप-6	स्वच्छताकारित जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/उत्तसीलदार (दोनों प्रगाण-पत्र आवश्यक हैं।)

7.2- क्षेत्रिज (Horizontal) आरक्षण :-

क्रमसंख्या	विशेष श्रेणी	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्रम प्राधिकारी
1	उत्तंत्रता रांग्यांग शेनानी के आन्तरिक	62		आन्तरिक प्रमाण पत्र प्रारूप-3	जिलाधिकारी

2	भूतपूर्व सेनिक	05	03 वर्ष *	यूनिट डिस्ट्रीब्यूज़ प्रगाण पत्र	यूनिट हंचार्ज़ / जिला रीमिक कल्याण एवं पुर्वांस अधिकारी
3	भृष्टि	20	-	आवेदन पत्र जागा करने से पूर्व की तिथि का उद्धरण का मूल निवास प्रनाली पत्र	

*भूतपूर्व सेनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु रीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7.3— राज्यस्थीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या: 2-इं-ए/2001(1) का—4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकाराम आयु रीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। आयु में छूट दाढ़ने वाले राज्यस्थीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप—4 के अनुरूप निर्गत होना चाहिए।

7.4— शासन ले पत्र संख्या 17/6-पु0-10-27(3)/2016 दिनांक 18 जनवरी, 2016 के अनुसार अधिकाराम आयु रीमा में ऐसे अध्यर्थियों, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीना ने छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जायेगी, जिसमें उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट की अनुमत्यता है। उदाहरण रवरूप यदि कोई अध्यर्थी अन्य पिछड़ी वर्ग श्रेणी का है और उत्तर प्रदेश का राजकीय रोक भी है तो आयु सीमा में उसे अधिकाराम छूट 5 वर्ष ही अनुगम्य होगी।

टिप्पणी

- (1) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति की कोई लोक किसी रावर्ण पुरुष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरान्त भी पूर्व में अनुगम्य आरक्षण मिलता रहेगा।
- (2) यदि कोई रावर्ण स्त्री फिसी अनुसूचित जाति/जनजाति के पुरुष से विवाह करती है तो उस स्त्री को आरक्षण व्यवरथा के अन्तर्गत लाभ अनुगम्य नहीं होगा।
- (3) गोद लिये जाने के फलस्वरूप रावर्णित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी सन्तान स्वरूप ही जाता है। अतः यदि अनुसूचित जाति/जनजाति या कोई अनित किसी स्वर्ण बच्चे को नियगानुसार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुगम्य होगा।
- (4) यदि कोई अध्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में अवक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा।
- (5) उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या—13/22/16/92/टीरी-iii—का—2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ी वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप—1, उत्तर-प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप—2 तथा शासनादेश संख्या—5/2016/18/1/2008-का 2/2015 दिनांक 21 अप्रैल, 2015 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत संघाग रोनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण—पत्र का प्रारूप—3 पर है।
- (6) उत्तर प्रदेश लोक रोक (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ी वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम—1994 (रामय-समय पर, यथा संशोधित) की

अनुसूची—दो के अनुसार क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र (प्रारूप-१) ०१ अप्रैल, २०२१ या उसके बाद का हो, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि २८-०२-२०२२ तक निर्गत होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुराचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप में इस भर्ती हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि २८-०२-२०२२ तक निर्गत होना चाहिए।

- (7) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिये उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप-३ गें तथा भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिये “यूनिट डिस्वार्ज प्रमाण—पत्र” इस भर्ती हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि २८-०२-२०२२ तक निर्गत होना चाहिए।
- (8) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थी होने का स्वयं घोषणापत्र निर्धारित प्रारूप-५ तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप-६ के अनुसार हो तथा प्रमाण पत्र प्रारूप-८ दिनांक: ०१ अप्रैल, २०२१ या उसके बाद का हो परन्तु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि २८-०२-२०२२ तक निर्गत होना चाहिए।
- (9) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप/निर्धारित अवधि का जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने अथवा भारत सरकार की सेवाओं हेतु गान्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उनको अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में अंकित किया जायेगा।
- (10) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ बाहने वाले उत्तर प्रदेश ले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन गें अपनी श्रेणी अधिकारी अंकित करें तथा निर्धारित प्रारूप पर सूक्ष्म अधिकारी द्वारा जारी प्रनाल ७२ आवेदन करने से पूर्व प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे प्रस्तुत करें। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अंतरिक्ष फिरी दायर प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्र गान्य नहीं होगा।
- (11) सम्बवत/क्षेत्रिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी/सूक्ष्म अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का भूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण—पत्र (डोमीसाइल सर्टिफिकेट) आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त करना। अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जाति प्रमाण—पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण—पत्र नहीं माना जायेगा।
- (12) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी, जो अभिलेखों की संघीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा के समय निर्धारित प्रारूप/निर्धारित अवधि का उ०प्र० का मूल निवास प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने में आसफाल रहते हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी मानते हुए विचार किया जायेगा, ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा तथा उनके द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यीकृत अंक अभिलेखों की संघीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा हेतु अंकुर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से कम होने की दशा में उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (13) उ०प्र० शासन के शासनादेश संखा--१८/१/९९/का-२/९९ दिनांक ०९-०१-२००७ के अनुरार राज्याधीन लोक शोदाओं और यतों पर सीधी भर्ती के प्रश्नम पर महिलाओं को क्षेत्रिज आरक्षण प्राप्त करने के लिए महिलाओं लो उ०प्र० का मूल निवासी होना आवश्यक

है, किन्तु इस प्रधान में रिट आविका संख्या -11039/2018 विधिन कुमार मौर्या व अन्य वनाम ७०५० राज्य व अन्य में दिनांक १६-०१-२०१९ को गरित नींव हासा उबल शासनादेश के अन्तर्गत उप्रेट की मूल निवासी राष्ट्रवाली शर्त को अधिकारातीत (Ultra Vires) कर दिया गया है, इस प्रकरण में मा० सच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक १६-०१-२०१९ के विरुद्ध उप्रेट शासन हासा विशेष अपील योजित की गयी है। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या-३९रिट/का-२/२०१९ दिनांकित २६-०६-२०१९ में विहित निर्देशों के अनुसार उप्रेट के मूल निवासी से भिन्न महिलाओं को क्षेत्रिज आरक्षण का लाभ देकर उनका चयन मा० उच्च न्यायालय के रागक्ष विचाराधीन विशेष अपील (डी) रांख्या-४७५/२०१९ ७०५० राज्य बनाग विधिन कुमार मौर्या व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

- (14) आरक्षण की दावेदारी के रागर्थन में सम्बन्धित मूल प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप/निर्धारित अवधि का प्रस्तुत न किये जाने पर यह अवगतरणा की जायेगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह दावेदारी निरस्त कर, यदि अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की संस्त पात्रताजैं को पूरी तरह हो तो, उसे अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत मा०न्ते हुए गती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में किरणी राशोधन/परिवर्तन ऐतु मुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
- (15) महिला अभ्यर्थियों के नामहों में पिता अ० से निर्गत प्रगाण पत्र हो साथ होंगे। ऐसी नहिला अभ्यर्थी का जाति इगाड़ पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुरूचित जनजाति वा अन्य पिछले वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्ती होने का उल्लेख है, अन्य न होगा।
- (16) जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य राजकार की सेवा में सेवारत है, उन्हें आवेदन करने से पूर्व अपने सेवायोजक से निर्गत "अनापक्षित प्रगाण-पत्र" (No-Objectum Certificate) प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं जैसे उनसे अपेक्षा की जाएगी उसे प्रस्तुत करना होगा।
- (17) अभ्यर्थी हासा आवेदन के साथ अपलोड किये गये अभिलेखों पर ही संवीक्षा की कार्यवाही की जायेगी।

४. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना :-

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास एथा अपेक्षित निम्नलिखित अभिलेख होने अनिवार्य है जो अभ्यर्थी हासा आवेदन करते समय लेना उत्तर आवेदन पत्र के राथ अपलोड/अटैच किये जायेंगे:-

- क— शैक्षिक उर्हता राष्ट्रवाली अभिलेख अंक पत्र/प्रमाण पत्र
- ख— अधिभाणी अहता राष्ट्रवाली अभिलेख (यानि कोई हो तो)
 - (1)— डोएक (DOEACC)/नाइलिट (NIELIT) सोसायटी से कम्यूटर से 'ओ' लेवल का प्रमाण-पत्र या
 - (2)— प्रादेशिक सेना गे न्यूनलग दो वर्ग की सेवा का प्रमाण पत्र या
 - (3)— राष्ट्रीय कैडेट कॉर्स के 'बी' प्रमाण-पत्र।
- ग— आरक्षण एवं अधिकाराम आयु सीमा ने छूट के दावे सम्बन्धी अभिलेख (यदि लागू हो)-
 - (1)... मूल निवास प्रमाण पत्र (आवेदन एवं जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्गत)
 - (2)— अन्य पिछले वर्ग ले लिए जाते प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप-१ पर (०१ अप्रैल, २०२१ से आवेदन करने की अंतिम तिथि २६-०२-२०२२ तक निर्गत)



(3)– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रालूप-2 पर।

(4)– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रालूप-3 पर निर्गत होना चाहिए।

(5)– भूजपूर्व सैनिक यूनिट डिस्ट्रिक्ट प्रगाण दब/सेवामुक्ति प्रगाण पत्र यूनिट के कम्पांडेन्ट द्वारा निर्गत "No-Objection Certificate" ;

(6) आयु में छूट चाहने वाले उत्तर इदेश राज्य के कार्यरत कर्गचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र। यह प्रगाण दब निर्धारित प्रालूप-4 पर होना चाहिए।

(7)– आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थी का स्वयं घोषणा दब निर्धारित प्रालूप-5 तथा आर्थिक लाभ से कमज़ोर वर्ग का आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रालूप-6 पर (01 अप्रैल, 2021 से आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28-02-2022 तक गिर्फत)।

घ— फार्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु आर्थिक की नियन्त्रण और आवधार तक रंगीन फोटो और हस्ताक्षर।

9—ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :—

9.1— आवेदन करने हेतु 'ऑनलाइन आवेदन पत्रति' लागू है।

9.2— ऑनलाइन आवेदन के सभी अन्यथी अपनी अहंता सम्बन्धी रागरत प्रमाण—पत्र/अंकतालिका की स्कैन कॉपी अपलोड/आटैच करें तथा राही प्रगाण—पत्र संख्या, अनुक्रमांक तथा प्राप्तांक आदि का विवरण भरना आवश्यक होगा।

9.3— 'ऑनलाइन आवेदन पत्र' भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:—

(1) बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> पर जायें।

(2) ऑनलाइन आवेदन को भरे जाने हेतु वेबसाइट पर दिये गये विस्तृत निर्देशों को भलीभांति रामड़ा लें और तद्दुसार आवेदन करें।

(3) ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नानुसार होगा:—

(i) प्रथम चरण—मूल पंजीकरण

आर्थिक जो ऑनलाइन आवेदन करने हेतु 'Reference Number' एवं 'Password' प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित 'ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लिंक' पर विलक करने के पश्चात 'New User' को किलक करें तथा प्राप्त फार्म में अपेक्षित सूचनायें भरकर 'Save' करने के पश्चात ही रजिस्ट्रेशन पर 'Reference Number' एवं 'Password' प्रदर्शित होगा। यहाँ बार लॉगिन करने के लिए 'Reference Number' एवं 'Password' अन्यथा के गोबाइल नम्बर और इंसेल पर भेजा जायेगा। अतः 'Reference Number' एवं 'Password' प्राप्त करने के लिए आर्थिक वैध ई-गोल आईडी एवं मोबाइल नम्बर प्रयोग करें। अन्यथा ध्यान रखें कि अगले बरण में 'Reference Number' एवं 'Password' अन्यथा को निर्धारित स्थान पर राही—राही प्रविष्ट करना होगा।

(ii) द्वितीय चरण—शैक्षिक/ अधिभानी अहंता सम्बन्धी जानकारी भरना

अन्यथियों को प्राप्त 'Reference Number' एवं 'Password' से लॉगिन करके फॉर्म में गांनी गयी समस्त जानकारी दिना त्रुटि भरनी होगी। समस्त जानकारी भरने के उपरान्त अन्यथा अपनी नवीनतम रंगीन कॉटों हरताकार अधिगत्ती अहंता, अभिलेखों की स्कैन कॉपी, आस्कण हेतु रीगा में छूट के दावे सम्बन्धी अभिलेख/अभिलेखों की स्कैन कॉपी अपलोड एवं सभी घोषणाओं को गलीभांति पढ़कर राबिश्ट करना अनिवार्य होगा।



अभ्यर्थी यह भी ध्यान दे की अपलोड की गयी रूचना फीस पेमेंट करने से पूर्व भली भाँति पुगा जांच ले। आवेदन सबमिट (Submit) करने से पूर्व यदि अभ्यर्थी को किसी सूचना अश्वया लैन कॉपी को संशोधित (Edit) करना है तो हर सेक्शन के आगे दिए गए Edit बटन को प्रिलिंक करके संशोधित कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सारी जानकारी/अभिलेख अभ्यर्थी के लॉगिन में save रहेंगे तथा Fees Payment की तरफ बढ़ने से पहले सुनिश्चित कर ले कि वी गयी जानकारी सभी है अन्यथा आवेदन राबमिट द्वारा के पश्चात किसी भी प्रकार के सुधार/संशोधन का अवरार नहीं दिया जायेगा। Fees Payment के successful होने के पश्चात ही अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण माना जाएगा एवं अभ्यर्थी अपने आवेदन कॉर्ग तथा फीस रसीद को प्रिंट कर सकता है।

(iii) तृतीय चरण – शुल्क का भुगतान

अभ्यर्थी केवल इण्टर्नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं UPI के माध्यम से ही निर्धारित शुल्क का भुगतान तरकाल कर सकता है। राफल भुगतान होने के पश्चात ही आवेदक को 'Registration Number' प्राप्त होगा, जिसका उपयोग आगे की प्रक्रिया के लिये किया जायेगा और आवेदक को एक पंजीकृत उम्मीदवार माना जाएगा।

9.4- अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो व हस्ताक्षर आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार में ही लैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष तक होनी चाहिए। रोबर्टा अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए :

अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए:-

- 1- चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। ऐहरे पर अत्यधिक चमक/छाया नहीं होनी चाहिए।
- 2- नागांकन को लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया छो।
- 3- कंधे साफ दिखने चाहिए।
- 4- सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
- 5- तुल्जी रो शिखर तक राफ दिखता हो तथा लगभग 70 प्रतिशत गाग आच्छादित करता हो।
- 6- तटस्थ अभिव्यक्ति (मुँह बन्द, आँखें खुली)।
- 7- घेरे के दोनों किनारे (दोनों कान) राफ दिखते हुए।
- 8- कैनरे पर सीधी नजर हो।
- 9- चश्मा उतार कर फोटो लिया जाए।
- 10- फोटो में लोगी, मफ्लार आदि धारण नहीं करना। चाहिए।

यदि उपरोक्तानुसार फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में रक्कन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र को ऑफलाइन सिस्टम ल्वीकार नहीं करेगा।

9.5- एक बार आवेदन 'Submit' करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन। नहीं किया जा सकता।

9.6- ऑफलाइन आवेदन-एज भरने द्वारा वित्ती निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय उपलब्ध रहेंगे।

9.7- आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु :-

- (1) जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में हैं उन्हें आवेदन करने से पूर्व अपने नियोतज द्वारा गिर्गत "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (No-Objection Certificate) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- (2) अभ्यर्थी, आवेदन—पत्र को यथार्थता और जूर्जता के लिए व्यलिगत रूप से और आकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से पूर्ण है, तो आवेदन—पत्र को निररत किया जा सकता है।
- (3) अभ्यर्थी लेखन एक आवेदन पत्र भरेगा। बोर्ड केटल ऑनलाइन आवेदन पत्र रवीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

10—अन्य :-

- (1) विज्ञापित पदों पर को जा रही यह भर्ती अरथात् है।
- (2) अभ्यर्थी दिवालिया न हो तथा किसी न्यायालय द्वारा कानूनी दण्डित न हुआ हो।
- (3) किसी ऊना खार, नकल लगने या आपने स्थान पर किसी आश्य को परीक्षा में सम्मिलित कराने, परीक्षा रामबन्धी निर्देशों के उल्लंघन करने, किसी गहरवपूर्ण राचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लग्नित होने, दांष्ट्रिय छुपाये हैं, एक से अधिक जीवित घर्त्ता के होने, राश्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अध्यवा चयन के सम्बन्ध में रिफरिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं एवं वयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार बंडू के होगा।
- (4) यदि किसी उत्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी आपेक्षित आईताओं को पूरी नहीं करता है अथवा उसने गलत/ झूटे राचना/ रार्टीफिल्ट/ अभिलेख प्रस्तुत किये हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाये हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्ता नाना जाएगा; यदि इस प्रकार की कोई कन्ती अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार यहण करने के पश्चात भी प्रकाश में आती है तो उसकी रोवाये रागात्म को जा रावती हैं एवं उसको अचयनित (Delist) करते हुए उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर पौत्रनिक कार्यवाही की जाएगी।
- (5) इस सूचना/विज्ञापित के नाम्यस रो जो राचनाएं उपलब्ध करती जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पृथक रो कोई प्रार्थना पत्र रवीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।
- (6) यह विज्ञापित रांगत रोवा नियगावली, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण अधिगियम और समझ—समय नर यथाराशोधित उप्रोग्राम सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, रद्दांत्रता रुग्नान रोनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपलब्धों और भर्ती के रागय प्रवृत्त शारान्तदेशों के अनुसार जारी की जा रही है। इसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास की स्थिति में संगत सेवा नियगावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में ही नयी व्यवस्था गान्य होगी।

11—बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा :-

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को रवीकार अध्यवा अस्ट्रीकार लगने, मिथ्या जानकारी के लिए शारिता, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आदानपान सम्बन्धी सभी गांगलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाल्फारी होगा। इस रामबन्ध में ओइ पत्रावार सीकार्य नहीं होता।

अपर सचिव (भर्ती)
उप्रोग्राम गर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

सहायक परिवालक
ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

क्रमसंख्या	विषय	अधिकतम अंक
1	रामान्य हिन्दी	100 अंक
2	विज्ञान / सामान्य ज्ञान	100 अंक
3	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक
4	मानसिक अग्रेजचि परीक्षा/ गुद्धिलक्षि परीक्षा/ लार्किक परीक्षा	100 अंक

1—सामान्य हिन्दी (General Hindi)—

1— हिन्दी और अन्य भारतीय भाषायें, 2— हिन्दी व्याकरण का मौलिक ज्ञान—हिन्दी वर्णगाला, तदग्रव—तत्त्वाग, पर्यायिलाची, विलोम, अन्तेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समस्तपी भिन्नार्थक शब्द, असुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, उच्चन, कारक, सर्वनाम, पिशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, रागास, विराम- विन्दु, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छन्द, अलंकार आदि, 3— अपठित बोध, 4— प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनायें, 5— हिन्दी भाषा में पुस्तकार, 6—विद्यि।

2—विज्ञान/ सामान्य ज्ञान (Science/General knowledge)

क—विज्ञान (Science) भौतिकी जगत् तथा गापन (Physical World and Measurement), शुद्ध गतिकी (Kinematics), गति के नियम (Laws of Motion), कार्य, ऊर्जा और शक्ति (Work, Energy and Power), गुरुत्वाकर्षण (Gravitation), स्थिर विद्युतवर्गी (Electrostatics), वैद्युत द्विपाव (Electro potential), विद्युत धारा (Current Electricity), विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव तथा चुम्बकत्व (Magnetic Effects of Current and Magnetism), वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारायें (Electromagnetic Induction and Alternating Currents), वैद्युत चुम्बकीय तरंगे (Electromagnetic waves), इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों (Electronic Devices), संचार व्यवस्था प्रणाली (Communication Systems), प्रकाशिकी (Ray Optics).

ख—सामान्य ज्ञान (General knowledge) . रामान्य ज्ञान, रामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक रासायन, ७०प्र० की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के राम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी, ७०प्र० में राजरव, पुलिरा व स्नानान्य प्रशासनिक अवस्था, भारताधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पलोरी देशों के बीच सम्बन्ध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गहन्य के रागरामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं रोबोट, पुराकार और रामान, देश/ उजाधानी/ गुद्धायें, गहन्यपूर्ज दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्पनिकेशन।

३—संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा (Numerical and Mental Ability Test)

क—संख्यात्मक योग्यता (Numerical Ability) Number System—राख्या पद्धति, Simplification—सरलीकरण, Decimals and Fraction—दशमलव और गिन्न, Highest common factor and lowest common multiple—नहतम समापवर्तक और लघुतम समापवर्तक, Ratio and proportion—अनुपात और समानुपात, Percentage—प्रतिशतता, Profit and Loss—लाभ और हानि, Discount—छूट, Simple interest सुधारणा व्याज, Compound

interest—चक्रवृद्धि व्याज, Partnership—भागीदारी, Average—औसत, Time and Work—समय और कार्य, Time and Distance—समय और दूरी, Use of Tables and Graphs—सारणी और चाप का प्रयोग, Mensuration—मैन्युरेशन, Arithmetical computation and other analytical functions—अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषण, तार्किक कार्य, Miscellaneous—विविध।

ख— मानसिक योग्यता परीक्षा (Mental Ability Test)— Logical Diagrams—तार्किक आरेख, Symbol Relationship Interpretation—संकेत—सम्बन्ध विश्लेषण, Perception Test—प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, Word formation Test—शब्द रचना वर्णकाण, Letter and number series—अक्षर और संख्या शृंखला, Word and alphabet Analogy—शब्द और वर्णगाला में आंशिक रागरूपता, Common Sense Test—व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, Direction sense Test—दिशा ज्ञान परीक्षण, Logical interpretation of Data अंकों का तार्किक विश्लेषण, Forcefulness of argument—प्रभावी उक्त, Determining implied meanings—अंतर्भूत गावों का विभिन्नतय करना।

4—मानसिक अभियोग्य परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा (Mental Aptitude Test/I.Q- Test/Reasoning Test)

क— मानसिक अभियोग्य परीक्षा (Mental Aptitude Test)— Attitude towards the following—निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोणः— Public Interest—उत्तराधित, Law and order—कानून एवं शांति व्यवस्था, Communal harmony—साम्बद्धायिक सद्व्यवाच, Crime Control—आपराध नियन्त्रण, Rule of law—विधि का शासन, Ability of adaptability—अनुकूलन की क्षमता, Professional Information (Basic level)—व्यावसायिक रुचना (वैसिक स्तर की), Police System—पुलिस प्रणाली, Contemporary Police Issues & Law and order—समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, Interest in Profession—व्यवसाय के प्रति रुचि, Mental toughness—मानसिक दृढ़ता, Sensitivity towards minorities and underprivileged—अल्परांज्यकों एवं अस्वीकार वालों के प्रति रावेदनशीलता, Gender sensitivity—लैंगिक रावेदनशीलता।

ख— बुद्धिलब्धि परीक्षा (I.Q. Test)— Relationship and Analogy Test—रामबन्ध व आंशिक समानता परीक्षण, Spotting out the dissimilar—असमान को चिह्नित करना, Series Completion Test—शृंखला पूरी करने का परीक्षण, Coding and Decoding Test—रांकेत लिपि और संकेतिक लिपि को समझना, Direction Sense Test—दिशा ज्ञान परीक्षण, Blood Relation—रक्त सम्बन्ध, Problem based on alphabet पर्यामाला पर आधारित प्रश्न, Time sequence test—समय क्रम परीक्षण, Venn Diagram and chart type test—वेन आरेख और चार्ट संदर्भ परीक्षण, Mathematical ability Test—गणितीय योग्यता परीक्षण, Arranging in order—क्रम में व्यवस्थित करना।

ग— तार्किक परीक्षा (Reasoning Test)— Analogies—रामरूपता, Similarities—समानता, Differences—भिन्नता, Space visualization—थाली स्थान भरना, Problem solving—रामरस्या को सुलझाना, Analysis judgement—विश्लेषण निर्णय, Decision-making निर्णयिक क्षमता, Visual memory—दृश्य स्मृति, Discrimination—विभेदन क्षमता, Observation—पर्यवेक्षण, Relationship—सम्बन्ध, Concepts अवधारणा, Arithmetical reasoning—अंकगणितीय तर्क, Verbal and figure classification—शब्द और आकृति वर्गीकरण, Arithmetical number series—अंकगणितीय संख्या शृंखला, Abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships—अगृह्य विवारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता।



प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रगाण-पत्र

(शासनादेश राष्ट्रा-13/22/16/22/टीसी .III-क)-2/2014 दिनांक 17 विसम्बर, 2014)

प्रभागित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 सुपुत्र/सुपुत्री/श्री..... निवारी ग्राम..... तहसील..... नगर.....
जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... पिछड़ी जाति के
 व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक रोपा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और
 अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के
 अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रगाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपूर्वोक्ता
 अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची दी (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक रोपा) (अनुसूचित¹
 जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम
 2001 द्वारा प्रतिरक्षापित किया गया है एवं जो ३०५० लोक रोपा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित²
 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित
 की गयी है, से आव्यादित नहीं हैं। इनके नाता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये
 राकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर
 अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक रापत्रि भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/आरका परिवार उत्तर प्रदेश
 के ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... में
 रानान्यत: २०८० है।

रथान.....
 दिनांक.....
 गुहर.....

हस्ताक्षर.....
 पूरा नाम.....
 पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
 सिटी मजिस्ट्रेट/परगना गजिस्ट्रेट/तहसीलदार

प्रारूप-२

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

(शासन-देश रख्या-13/22/0/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/लुगारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.....निवारी ग्राम.....राहसील.....नगर.....
.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....जाति के व्यक्ति हैं,
जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैरा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/
रायिकान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुगारी.....तथा अथवा उनका परिपार उत्तर प्रदेश
के.....ग्राम.....राहसील.....नगर.....जिला.....में
राग्नन्दितया रहता है।

रथान.....
दि.वि.का.....
मुहर.....

हरताकर.....
पूरा नाम.....
पदनाम.....

जिलाधिकारी/अधिकारी/सिटी भिल्डरेट/
परगना भिल्डरेट/राहसीलदार/अन्य वेतन भोगी
गणिरद्रेट, यदि कोई हो/जिला रागाज कल्याण अधिकारी

प्रारूप—३

उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम रोनानी के आश्रित का प्रगाण—पत्र

(शासनावेश संख्या—5 / 2015 / 18 / 1 / 2008—क।—2 / 2015 दिनांक 21 अप्रैल, 2015)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती.....निवारी
ग्राम.....ताहसील.....नगर.....ज़िला.....
‘उत्तर प्रदेश लोक रोवा (शारीरिक रूप रो विकलांग, स्वतंत्रता रांगम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व रौनिकों के लिए आलक्षण) अधिनियम 1993’ के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम रोनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित).....पुत्र/ पुत्री/ पौत्र(पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (थथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (रवतंत्रता संग्राम सेनानी).....के आश्रित हैं।

रक्षान
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
पूर्ण नाम.....
पद नाम.....
गुहर.....

ज़िलाधिकारी(सील)



प्रारूप—4

राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप
(जहाँ विभाग वा कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाये जहाँ अस्थार्थी कार्यरत हैं)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुगारी.....राज्य
राजकार के कर्मचारी हैं जो वेतनमान गें के पद पर^{विभाग/कार्यालय} में दिगंक..... से नियमित आधार पर^{.....}
सेवारत हैं।

रथान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)
नाम.....
पद नाम.....
मुद्र.....

प्रारूप-5

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा-पत्र स्वयं घोषणा-पत्र

मेरे पुत्र/पुत्री/पत्नी जाम/करबा
 पोस्ट ऑफिस शाना ब्लाक
 तहसील जिला राज्य ने आर्थिक
 रूप से कमज़ोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पिया है। इतने हारा घोषणा करता/करती हूँ :—

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ जो दाता प्रदेश हेतु अधिरूपित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (जीवन, कुश्मि, ज्वलाद, पैशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु० (रु०भ्यों में) है।
3. मेरे परिवार के पारा उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिस्पर्ति नहीं है।

अधवा

वहाँ रथानों पर स्थित गरिसगणियों को जोड़ने के परचात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ले दायरे में आया/आती हूँ।

4. मैं घांटा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसायियों को जोड़ने के परचात निम्नलिखित में से किसी भी रीता ये आर्थिक नहीं हैं :—
 - I. ०५ (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ७५५।
 - II. एक छायार दर्ग गोट अथवा इससे आर्थिक क्षेत्रफल ७० घोट।
 - III. उपर्युक्त नगरपालिका के अन्तर्गत १०० वर्ग गज अथवा इससे आर्थिक का आवासीय भूखण्ड।
 - IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर २०० वार्ग गज अथवा इससे आर्थिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे हारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे हारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानका हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर ये नये प्रमाण वत्र के हारा शीलाधिक संस्थान में लिया गया प्रयोग/लोक रोहतों एवं वर्दों में प्राप्त हो गई नियुक्ति निश्चित कर दी जायेगी/कर पिया जायेगा अथवा इस प्राप्त पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी बंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में चेष्टा एवं नियगों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली धराद्वाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

आवेदक/उपायिका का लक्ष्याल्प तथा गूँडा नाम

स्थान :—

विनांक:

प्रारूप-६

(प्रपत्र- १)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र
प्रगांठ-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष..... के लिये मन्त्र

प्रगांठित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
मुकु/पल्ली/पूजी..... द्वारा/दृष्टि..... पोर्ट
ओफिस..... शान्ति..... तहसील..... जिला.....
राज्य..... पिंग कोड..... के स्थानीय निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ
नीपे अभिप्राणित है, उन्निक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष..... में इनके
परिवार की कुल वार्षिक आय ८ लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के रतान्त्रित में
निम्नालिखित गों रो कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:

- I. ०५ (पाँच) एकल कृषि योग्य भूमि शब्दा इससे ऊपर।
- II. एक छज्जर वर्ग फीट इकान्ता इसरो अधिक शेत्रफल का प्लैट।
- III. अधिकृत नगरपालिका के अन्तर्गत १०० वर्ग गज शब्दा इससे अधिक का
आवारीय भूखण्ड।
- IV. अधिकृत नगरपालिका से ३०८ २०० वर्ग गज अथवा इससे अधिक का क्षेत्रावीय
भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति..... के सदस्य हैं,
जो अनुचूतित जाति, अनुरूपित जनजाति तथा अन्य गिरजे वर्गों के ऊपर गों अधिकृतित नहीं हैं।

आवेदक का पात्रपोर्ट सार्वजनिक
का अभिप्राणित कोलेक्टर

हरतालिका..... (कार्यालय का मुद्रर स्फित)
पूरा नाम.....
उल्लङ्घन.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
श्रीमती नजिरद्देव / परगना नजिरहट
/ तहसीलदार।

